

(219)
2021

2021/364

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जालोर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प, जालोर

प्रशासनिक आदेश संख्या 2021

908

30/11/21

---आदेश---

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ... व भूअ.नि. ... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार .../नायब तहसीलदार ... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ... तहसील ... जिला ... की जमाबन्दी संवत् 2074 ... में खाता संख्या ... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	आमलोदा	55	कुमलेश पुत्र लक्ष्मीधर	कुमलेश पुत्र कुमल कुमार भांडाड़ पुत्र लक्ष्मीधर श्रीधर राज पुत्रादि 5 जमाबन्दी रहेगा।

(मनमोहन)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जालोर

क्रमांक :- 908-910

दिनांक :- 30/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावार्थे।
2. प्रार्थी श्री ... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रक्षित पत्रावली
30/11/2021

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जालोर